

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 अगस्त 2014—श्रावण 29, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. एफ 7-30-2014-आ.प्र.-एक.—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 17 के अन्तर्गत इसी अधिनियम की धारा 18 में उल्लेखित कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नानुसार स्थायी समिति का गठन करता है :—

1. मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2. मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश	सदस्य
3. श्री अंचल सोनकर, मान. विधायक, जिला जबलपुर	सदस्य
4. श्री ओमप्रकाश धुर्वे, मान. विधायक, जिला डिण्डौर	सदस्य
5. श्री मुरलीधर पाटीदार, मान. विधायक, जिला आगर मालवा	सदस्य
6. डॉ. मोहन यादव, मान. विधायक, जिला उज्जैन	सदस्य
7. श्रीमती झूमा सोलंकी, मान. विधायक, जिला खरगोन	सदस्य
8. प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
9. प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
10. प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	सदस्य
11. प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य-सचिव.

2. उक्त स्थायी समिति द्वारा निम्नांकित कृत्य सम्पन्न किये जायेंगे :—

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन.

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों का सुझाव देना.

(ग) ऐसे अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार समय-समय पर समिति को सौंपे.

3. उक्त स्थायी समिति का कार्यकाल वर्तमान विधान सभा की कार्य अवधि के समानांतर रहेगा.

4. समिति की बैठकों में माननीय सदस्यों के भत्तों आदि पर आने वाले व्यय के लिये राशि की व्यवस्था मांग संख्या-41 आदिवासी उपयोजना लेखा शीर्ष 2225-02-800 अन्य व्यय योजना के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.